न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–78 / 2023

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. अलादीन पुत्र जानीखां
2. वलीमोहम्मद पुत्र जानीखां
3. हमीरखां पुत्र जानीखां
4. हुसैनखां पुत्र जानीखां जाति मोयला निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अजीमखां पुत्र रहीमखां
2. अमीरखो पुत्र जमालखां
3. ईसाखां पुत्र जमालखां
4. अलीमोहम्मद पुत्र जमालखां
5. अर्सखां पुत्र जमालखां
6. तालबखां पुत्र जमालखां
7. हुरी पत्नी जमालखां
8. अमीरखां पुत्र पीरा
9. अहमदखां पुत्र पीरा
10. नवीबखां पुत्र पीरा
11. शेरमोहम्मद पुत्र पीरा
12. सुगरी पत्नी पीरा
13. अलशेरखां पुत्र रहीमखां
14. आसीनखां पुत्र रहीमखां
15. मुस्ताकखां पुत्र रहीमखां
16. सौकतखां पुत्र रहीमखां
17. जेती पत्नि रहीमखां
18. सकुरखां पुत्र रहीमखां
19. मीठी पत्नी जीवाखां जाति मुसलमान निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी
20. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–16.01.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा– मोतीसरा के खसरा संख्या 197 रकबा 13.1786 हैक्टेयर भूमि के संबंध प्रस्तुत वाद दिनांक 12.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा–मोतीसरा के खसरा संख्या 197 रकबा 13.1786 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	बरंग
1.	अलादीन पुत्र जानीखां जाति मुसलमान कुम्हार सा.देह खातेदार	मोतीसरा	197	1.0982	बा.सो.	0.09	हरा
2.	वलीमोहम्मद पुत्र जानी खां जाति मुसलमान कुम्हार सा.देह खातेदार	मोतीसरा	197	1.0982	बा.सो.	0.09	गुलाबी
3	हमीरखां पुत्र जानी खां जाति मुसलमान कुम्हार सा.देह खातेदार	मोतीसरा	197	1.0982	बा.सो.	0.09	केसरिया
4	हुसैनखां पुत्र जानी खां जाति मुसलमान कुम्हार सा.देह खातेदार	मोतीसरा	197	1.0982	बा.सो.	0.09	आसमानी
5	अजीमखां अलशेरखां आसीनखां सकुरखा सौकतखां पि. रहीमखां जेती पत्नी रहीमखां 1/14 हि. अमीरखां अलीमोहम्मद ईसाखां उर्सखां तालबखां पि. जमालखां हुरी पत्नी जमालखां 3/7 हिस्सा अमीरखां अहमदखां नवीबखां शेरमोहम्मद पि. पीराखां सुगरी पत्नी पीरा 5/12 हिस्सा मीठी पत्नी जीवाखां 1/12 हिस्सा जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	मोतीसरा	197	5.7277	बा.सो.	0.46	लाल
			197	3.05891	बा.सो.	0.09	
		योग		**8.7858**	**बा.सो.**	**0.09**	

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की [illegible] करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। [illegible] पक्ष[illegible]न अपना –अपना वहन करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner